संख्या 27/VIP/1/2013-एस.आर.एस
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक अक्तुबर 2013

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रशासन,
सचिवालय, लखनऊ

2. मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रशासन,
सचिवालय, देहरादून

विषय :- दिनांक 15/01/2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्रीमती रेखा रानी, उपचारिका का राज्य पुनरावंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति की दिनांक 15/01/2013 को हुई बैठक में श्रीमती रेखा रानी, उपचारिका का उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन पर विचार किया गया था । बैठक में प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती रेखा रानी की पति के देहांत के उपरांत परिवार का समस्त दायित्व उन पर ही है । समिति द्वारा यह पाया गया कि श्रीमती रेखा रानी, उपचारिका चिकित्सकीय व्यथा निति के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन हेतू पात्र नहीं है । परंतु उनके पिता/श्वसुर की बीमारी तथा उनकी स्थिति को देखते हुए विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उनके राज्य पुनरावंटन उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश किए जाने की संस्तुति की गई । भारत सरकार द्वारा संस्तुति पर विचार किया गया तथा संस्तुति में "पिता/श्वसुर" की बिमारी का उल्लख देखते हुए प्रकरण अस्पष्ट पाया गया । अतः प्रकरण दुबारा दिनांक 18/9/2013 को आयोजित बैठक में सम्मिलित किया गया । समिति द्वारा बैठक में स्पष्ट किया गया कि श्रीमती रेखा रानी के श्वसुर की बिमारी के कारण पिछले बैठक में प्रकरण को विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन की संस्तुति की गई थी । बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उनके ससूर उनके उपर पूर्ण रुप से आश्रित है ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत हैं तथा श्रीमती रेखा रानी, उपचारिका का राज्य पुनरावंटन विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश के लिए किया जाता है ।

संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुर्नगठन समन्वय विभाग, 46 बहुखण्डी भवन, सचिवालाय, लखनऊ ।
2. सचिव, पुनर्गठन विभाग उत्तर प्रदेश प्रशासन, सचिवालय, देहरादून ।